बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या-5/आ०3-104/2013- 398 पटना, दिनांक- 10/05/18

श्री दिनेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाकर कार्य का भुगतान करने के संबंध में श्री अनिमेष आनंद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिला संयोजक, मुंगेर, स्थायी पता-ग्राम-शिवगंज, पोस्ट-दरियापुर, थाना-मुफ्फसिल, जिला-मुंगेर तथा श्री भानू कुमार, ग्राम+पोस्ट-बड्डोपुर, थाना-पण्डारक, भाया-बाढ़, पिन कोड-803214 का परिवाद पत्र विभाग को प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-245, दिनांक-07.06.2013 द्वारा श्री अविनेश कुमार वर्मा, तत्कालीन संयुक्त सचिव (प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से परिवाद पत्र के आलोक में मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. श्री वर्मा द्वारा गैर सरकारी प्रेषण संख्या-1426, दिनांक-24.11.2014 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में पाया गया कि कराये गये कार्यों का भुगतान हस्तरसीद पर किया गया है, जिस पर भुगतान प्राप्त करने वाले लेदरमेट का नाम एवं हस्ताक्षर तो अंकित है, परन्तु पूर्ण पता अंकित नहीं होने के कारण प्रामाणक की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। साथ ही आरोपित कनीय अभियंता, श्री यादव को विभागीय पत्रांक-6/वि०3-106/06-69 दिनांक-24.05.2006 का अनुपालन नहीं करने का भी उत्तरदायी माना गया। उक्त विभागीय पत्रांक द्वारा सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया था कि विभागीय स्तर से कराये जाने वाले सभी कार्यों के सामग्री का प्रमाणक अलग दी जाय तथा श्रमिकों का भुगतान मास्टर रॉल पर किया जाय।

3. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री यादव के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-243, दिनांक-19.03.2018 द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री यादव द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-30.03.2018 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। श्री यादव के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री यादव के विरूद्ध अभिकथित आरोप के लिए यह निर्णय किया गया है कि श्री दिनेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-चेवारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय मुख्य

अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. आरोपित श्री यादव आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

6. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री दिनेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-चेवारी, जाँच संचालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को दी जाय।

Sd/- 9/5/18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-5/आ०3-104/2013- 398 पटना, दिनांक- 10\05\18

प्रतिलिपिः-आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री दिनेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-चेवारी/जाँच संचालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 9.5.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-5/आ०3-104/2013- 398 पटना, दिनांक- 10\05\18

प्रतिलिपिः-सचिव के निजी सहायक/उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 तथा ~~आई०टी०~~ मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 9.5.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

Bibhiti ji/order